भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1543

26 जुलाई, 2022 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी

1543. श्री संजय काका पाटील:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवीएस) में मानक बैटरियों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों में भारत में निर्मित बैटरियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं को कोई प्रोत्साहन प्रदान किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) से (ग): महोदय, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी की सुदृढ़ स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं की स्थापना को बढ़ावा देने और आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सरकार ने देश में उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के विनिर्माण हेतु उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन पीएलआई) स्कीम को 12 मई, 2021 को मंज़ूरी दी है। इस स्कीम का कुल परिव्यय 5 वर्ष के लिए 18,100 करोड़ रुपये है। इस स्कीम में, देश में 50 गीगावाट घंटे की एक प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी विनिर्माण व्यवस्था स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, इस स्कीम के अंतर्गत 5 गीगावाट घंटे की उत्कृष्ट एसीसी प्रौद्योगिकियों को भी शामिल किया गया है। यह स्कीम प्रौद्योगिकी विशिष्ट से असम्बद्ध है।

साथ ही, विद्युत वाहनों, इसकी असेंबलियों/उप-असेंबलियों और घटकों/उप-घटकों के घरेलू विनिर्माण के उद्देश्य से फेम इंडिया स्कीम के चरण-II के अंतर्गत चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) शुरू किया गया है जिससे घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि हुई है।

*****